

फर्द अहकाम
(निगम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम गंगापूर

पिता जालु भाडरी निवासी भाडरी
तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

नाम

भुरालाल पिता सवाईराम भाडरी निवासी भाडरी
खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

मुकदमा चाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0

मु0न0 97/19

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की आगामी में जारी हुए
	<p>वादी/प्रतिवादी की और से अधिवक्ता श्री महेश दाधीच द्वारा चाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 के तहत प्रस्तुत किया। चाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर मिसल दिनांक ...03.03.20..... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज.)</p> <p>3/3/20 मिसल पेश। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा चाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 RTI का अन्तर्गत चाद पत्र करने का अधिवक्ता सुबहिन रखने हुए पिंडी फाईलकाट पर किया। और उक्त चाद पत्र को पिंडी किये जाने को कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से फाईल क्लिप जाता है।</p> <p>प्राप्त फाईल शुभाह डिकर द्वारा काम से कम है।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाड़ा</p>	<p>17/19</p> <p>सहाड़ा</p> <p>हे लिये जे दावे चयं या वाद से नों का कथन आपको जे या निर्भर हैं।</p> <p>नय में</p> <p>दिया</p> <p>दर की।</p> <p>नी को ने पेश करके</p> <p>धन नो के</p>

